मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 18 मार्च, 2010 (फाल्गुन 27, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. नव-वर्ष की शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन के माननीय सदस्यों एवं प्रदेश की जनता को नव वर्ष के उपलक्ष्य में बधाई दी तथा इस अवसर पर मध्यप्रदेश को देश का विकसित एवं अग्रणी राज्य बनाने के लिए शुभकामनाएं दी।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नों के यथासमय पूर्ण उत्तर दिये जाना

श्री आरिफ अकील, सदस्य ने प्रश्नोत्तर सूची में कुछ प्रश्नों के उत्तरों में "जानकारी एकत्र की जा रही है", अंकित होने का उल्लेख किया। इस पर आसंदी द्वारा प्रश्नों के उत्तर समय पर, सुनिश्चित रूप से देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित किया गया। श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा यथासंभव समस्त प्रश्नों की जानकारी यथासमय देने के लिए संबंधितों को निर्देशित करने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 158 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 169 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. नियम 267- क के अधीन विषय

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य ने भोपाल नगर निगम द्वारा लंबित राशन कार्ड न बनाये जाने,
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर के राजमार्ग क्र. 79 पर निरंतर दुर्घटनाएं होने,
(3) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने प्रदेश के शहरों में बन रहे मकानों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था न होने,
(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ में भू-माफियाओं द्वारा कृषि भूमि के भूखण्ड बनाकर विक्रय करने,
(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर के विजयपुर श्मशानघाट में लकड़ी की व्यवस्था न होने तथा
(6) श्री रामकिशोर नानो कांवरे, सदस्य ने बालाघाट के परसवाड़ा में प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के कार्य अधूरे होने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-2009 पटल पर रखा।

6. ध्यानाकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजनांतर्गत की गई खरीदी में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य ने बुरहानपुर जिले के ग्राम बीडरै स्थित शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री अजय सिंह, सदस्य ने सतना जिले के अमरपाटन में वाहन की टक्कर से एक छात्र की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री तथा श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री रामलखन सिंह एवं श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्यगण ने सतना जिले के लिलजी बांध की जमीन को निजी सीमेंट कंपनी को दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा जाना

श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा एवं खनिज साधन ने अपनी एवं अपने परिवार की संपत्ति के विवरण पटल पर रखे।

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल जिले के -
- (क) बरखेड़ा रेल्वे फाटक से नवीन नगर एवं सोनिया गांधी कालोनी तक रोड का डामरीकरण कराये जाने,
- (ख) जुमेराती के अलीगंज पार्किंग स्थल के ट्रांसफार्मर हटाये जाने , तथा
- (ग) वार्ड नं. 10 में सुलभ काम्पलेक्स बनाये जाने ,

(2) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के -
- (क) परासिया के ग्राम छिंदा देवरी-पिपरिया तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम पलटवाड़ा तेंदूखेड़ा में पौआमा तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम-खिरसाडोह से मायावाड़ी तक सड़क निर्माण किये जाने तथा
- (घ) ग्राम हरनाखेड़ी से पौनार तक सड़क निर्माण किये जाने ,

(3) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य ने छतरपुर जिले के खजुराहो से सकेरापुवा,खर्रोही तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने एवं

(4) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने खरगौन जिले के बड़वाह तहसील की उपमंडी बेडिया को अन्यत्र स्थानांतरण किये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010) को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010) को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(4) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

11. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 5	जेल के लिए एक सौ तैंतीस करोड़, इक्कीस लाख, इकतीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 36	परिवहन के लिए एक सौ एक करोड़, उनंचास लाख, सोलह हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 5	1, 3, 7
मांग संख्या - 36	2, 3, 9, 11

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ला
(3) श्री आरिफ अकील
(4) श्री परसराम मुद्गल
(5) श्री लक्ष्मण तिवारी
(6) श्री पारस दादा
(7) श्री ताराचंद बावरिया
(8) श्री मदन कुशवाह
(9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(10) श्री सुनील जायसवाल
(11) श्री रामलखन सिंह
(12) श्री रामलल्लू वैश्य

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अजय विश्नोई, मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों का प्रस्ताव अगली तिथि में प्रस्तुत किया जाना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 7 के उप पद क्रमांक 2 के अनुसार श्री अजय विश्नोई, मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान की मांगे प्रस्तुत होना है। चूंकि श्री विश्नोई अस्वस्थ हैं और इस कारण उन्होंने सदन से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा ली है। अतः श्री विश्नोई से संबंधित मांग संख्या 14, 16, 63, 66 के प्रस्ताव अगली तिथियों में सदन में प्रस्तुत किये जायेंगे। अतः कार्य सूची में उल्लेखित पद क्रमांक 7 के अगले उप पद क्रमांक 3 की मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

13. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 26	संस्कृति के लिए अड़तीस करोड़, अठारह लाख, उन्तालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 32	जनसंपर्क के लिए बयासी करोड़, छप्पन लाख, चालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 44	उच्च शिक्षा के लिए पांच सौ उन्तीस करोड़, पच्चीस लाख, तैंतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए दो सौ अट्ठाईस करोड़, बासठ लाख, बाईस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए तेरह करोड़, इकतीस लाख, चार हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए बत्तीस लाख, इकहत्तर हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 26	2, 5, 7
मांग संख्या - 32	2, 3
मांग संख्या - 44	2, 4, 7, 8, 14, 16, 25
मांग संख्या - 47	2, 7, 15
मांग संख्या - 51	2, 3, 8, 11, 16
मांग संख्या - 70	1

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री मानवेन्द्र सिंह
(4) श्री के.पी. सिंह
(5) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(6) श्री सुरेश चौधरी
(7) श्री पारस दादा
(8) श्री दिलीप जायसवाल
(9) श्री रामलखन सिंह
(10) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(11) श्री परसराम मुद्गल
(12) श्री राजकुमार उरमलिया
(13) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 18 श्रम के लिए तिरेपन करोड़, उनहत्तर लाख, तिरानवे हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 18	7, 8, 10, 12, 14

सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए.

मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री पारस दादा
(4) श्री रामलखन सिंह

श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 13 किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए छह सौ चौबीस करोड़, अठारह लाख, बासठ हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 54 कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए पचास करोड़, छह लाख, चौबीस हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 13	2, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 27
मांग संख्या - 54	4, 7, 10

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री मदन कुशवाह
(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(5) श्री मूल सिंह दादा भाई

(6) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(7) श्री अरूणोदय चौबे
(8) श्री रामलाल मालवीय
(9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(10) श्री जेबियर मेड़ा
(11) श्री गिरिराज किशोर राजू पोद्दार
(12) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(13) श्री बृजमोहन धूत

14. अध्यक्षीय व्यवस्था

अनुदान मांगों पर चर्चा के समय शासन के उच्चाधिकारियों की अनुपस्थिति

श्री यादवेन्द्र सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति आदि सदस्यगण ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अधिकारी दीर्घा में कृषि विभाग के उच्चाधिकारी अनुपस्थित है अतः माननीय सदस्यों के सुझाव नोट करने हेतु उन्हें उपस्थित रहना चाहिए।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सूचित किया कि कृषि विभाग के उच्चाधिकारी भारत सरकार की एक आवश्यक बैठक में भाग लेने नई दिल्ली गए है तथा इसके लिए अनुमति भी ली है। अधीनस्थ अधिकारीगण उपस्थित होकर सुझाव नोट कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि उक्त स्थिति में यह व्यवस्था का प्रश्न अग्राह्य किया जाता है। किन्तु इस परिस्थिति की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

15. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(14) श्री राधेलाल बघेल

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.22 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010 (फाल्गुन 28, 1931) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 18 मार्च, 2010